भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 695

उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

भरतपुर में एमएसएमई ईकाइयों के समक्ष आने वाली चुनौतियां

695. श्रीमती संजना जाटवः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के भरतपुर जिले में सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा हस्तशिल्प उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार लिंकेज तक पहुंच की कमी, जो उनके विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है, का कोई संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहायता कार्यक्रमों और ऋण सुविधा योजनाओं के अंतर्गत प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को पर्याप्त समर्थन नहीं देने के क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): (i) उद्यम पोर्टल के अनुसार, राजस्थान में 40,80,462 एमएसएमई पंजीकृत हैं। केंद्र सरकार राजस्थान के भरतपुर जिले सहित देश में एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमवार कार्यकलापों से एमएसएमई के सामने वाले वाली चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलती है।

(ii) खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यापार संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर सहायता प्राप्त "पीएम फोर्मालाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एन्टरप्राइजेज (पीएमएफ़एमई) स्कीम" का कार्यान्वयन कर रहा है । यह स्कीम 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक लागू है।

पीएमएफ़एमई स्कीम को सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्कीम पात्र परियोजना लागत की 35% क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान सहायता, 40,000 रुपए तक का सीड केपिटल (आधारभूत पूंजी), लाभार्थियों के लिए क्षमता निर्माण और इकाइयों के औपचारिकीकरण के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करती है।

भरतपुर जिले में पीएमएफ़एमई स्कीम की प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी:** 2.58 करोड़ रुपए की अनुमोदित सब्सिडी के साथ 57 ऋण स्वीकृत किए गए।
ii. **सीड केपिटल:** 88 एसएचजी सदस्यों को 0.24 करोड़ रुपए के साथ अनुमोदित किया गया।
iii. **क्षमता निर्माण:** 1 जिला रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) और 11 लाभार्थी प्रशिक्षित।

(iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, ताकि सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों द्वारा भरतपुर जिले सहित देश भर में एमएसई को दी जाने वाली 10 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधाओं (01.04.2025 से प्रभावी) के लिए अपने सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों को ऋण गारंटी प्रदान की जा सके।

सीजीएस के तहत भरतपुर जिला सहित राजस्थान में, अनुमोदित गारंटियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सीजीएस- अनुमोदित गारंटियां		
शुरुआत से लेकर दिनांक 30.11.2025 में तक संचित		
	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में
अखिल भारत	1,30,63,982	11,84,872
राजस्थान	5,73,622	52,241
भरतपुर	13,725	913

(iv) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से मार्जिन मनी सब्सिडी द्वारा पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करते हुए स्व-रोजगार के अवसरों को सृजित करने की ओर लक्ष्यांकित है। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं आदि के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

राजस्थान के भरतपुर जिले में विगत 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक और चालू वित्तीय वर्ष (दिनांक 26.11.2025 तक) में पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी, अनुमानित सृजित रोजगार की वर्ष-वार संख्या निम्न प्रकार से है:

वित्त वर्ष	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)**	**अनुमानित सृजित रोजगार**
2020-21	114	3.98	912
2021-22	90	3.23	720
2022-23	100	3.71	800
2023-24	106	4.57	848
2024-25	38	1.58	304
कुल	**448**	**17.07**	**3584**

(ग) : राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थानीय उद्योगों और कारीगरों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा 435.12 लाख रुपए की प्रतिबद्ध सहायता के साथ स्फूर्ति स्कीम के तहत एक क्लस्टर को अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के द्वारा 670 कारीगरों को लाभ मिलना प्रस्तावित है और वर्तमान में यह स्कीम कार्यशील है और स्थानीय कारीगरों को सहायता प्रदान कर रही है।

****